नुसूची-14 फारम सं0-563

श की क्रम संख्या ौर तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। सरोज देवी, पति-दिनेश कुमार राम, ग्राम-बादम, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-खिरगांव, थाना नं0-145, खाता संख्या-77, प्लॉट संख्या-1048 रकवा-0.08 एकड़ भूमि जसमती देवी, पति-रंजीत राम, ग्राम-पौता, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 203/2019 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई। अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि - क्रेता जसमती देवी एवं सरोज देवी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 7.88 एकड़ भूमि बचेगी। भूमि आवेदिका को स्वयं के नाम खरीदगी केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 37/XVI पर स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2004-05 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता सरोज देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2019/142569 दिनांक 25.05.2019 एवं अंचल अधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2019/164855 दिनांक 19.03.2019 और क्रेता जसमति देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/913776 दिनांक 22.10.2018 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत्	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/1099597 दिनांक-21.10.2018 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-खिरगांव, थाना नं0-145, खाता संख्या-77, प्लॉट संख्या-1048 रकवा-0.08 एकड़ भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 11/11/20 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 11/11/20 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	